निकायों द्वारा अनधिकृत रूप से जमाराशि स्वीकार किए जाने पर

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए

मानक परिचालन प्रक्रिया

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना

जनवरी 2015

प्रस्तावना:

निकायों द्वारा छल पूर्वक निधि जुटाने के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में जाँच करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के के लिए एक जाँच सूची प्रस्तुत है। इसमे अनिगमित निकायों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत कंपनियों के संबंध में जांच करने पर चर्चा की गई है।

यह जांच सूची अधिनियमों तथा विनियमों की संबंधित धाराओं और प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इस जांच सूची को अपने आप में किसी विधिक प्रक्रिया या किसी न्यायालय में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

जांच सूची में उद्धृत विनियमों में परिवर्तन हो सकता है और संबंधित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इस संबंध में हुए परिवर्तन से अपने आप को अद्यतन रखना आवश्यक है।

अंततः, जांच किए जा रहे मामले के अनुसार जांच सूची के अनुप्रयोग को परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।

विषय सूची:

	पृष्ठ सं.
1. अनिगमित निकाय	3
2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत निकाय	6
3. अन्य निकाय	7

1. अनिगमित निकाय

अनिगमित निकायों में, ऐसा व्यक्ति, फर्म या व्यक्तियों का अनिगमित संगम हो, शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एस के प्रावधान के अनुसार इन निकायों द्वारा कोई भी जमाराशि स्वीकार करना निषिद्ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एस के अनुसार: **कुछ दशाओं में निक्षेप (जमाराशि) का प्रतिग्रहण (स्वीकार) न किया जाना -** (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों का अनिगमित संगम है कोई निक्षेप प्रतिगृहित नहीं करेगा (i) यदि उसके कारबार में पूर्णतः या अंशतः धारा 45 झ के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई क्रियाकलाप सम्मिलित है; या (ii) यदि उसका मुख्य कारोबार किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन किसी अन्य रीति से निक्षेपों के प्रतिग्रहण करने अथवा किसी रीति से उधार देने का है।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यष्टि द्वारा अपने किसी रिश्तेदार से ऋण के रूप में धन के प्रतिग्रहण को अथवा किसी फर्म के किसी भागीदार के रिश्तेदार या रिश्तेदारों से ऋण के रूप में फर्म द्वारा धन के प्रतिग्रहण पर लागू नहीं होगी।

2. जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 1997 को कोई ऐसा निक्षेप धारण करता है जो उपधारा (1) के अनुसार नहीं है वहां ऐसे निक्षेप का उस व्यक्ति द्वारा ऐसे निक्षेप के प्रतिसंदाय के लिए शोध्य हो जाने के पश्चात तत्काल या ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, प्रतिसंदाय किया जाएगा।

परंतु यदि रिज़र्व बैंक का, किसी व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से निक्षेपों के एक भाग का प्रतिसंदाय करने में असमर्थ है या ऐसा प्रतिसंदाय उसको अत्यधिक कठिनाई में डाल देगा तो वह, लिखित आदेश द्वारा ऐसी अवधि का, एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विस्तार कर सकेगा।

3. 1 अप्रैल 1997 से ही उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति निक्षेप की याचना करने के लिए किसी रूप में कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा अथवा जारी नहीं कराएगा।